(6)

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2021/36

1. शंकरलाल पुत्र श्री नन्दाराम उर्फ नन्दलाल, उम्र 60 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ढाणी देवी का थान, तन ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहमणा निवासी 5 सन्तोष नगर, कॉलोनी, ब्रहमपुरी रोड, जयपुर हाल निवासी डी—192, मोती मार्ग, बापूनगर जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 31.03.2001

उपस्थित—

1. श्री विजय कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकुमार पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. रेस्पो. नं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक —01.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2001 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के साथ दिनांक 15.02.2021 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौमू ग्राम खेजरोली के ख.नं. 6195/8255 गैर मु0 सडक के स्थान पर खातेदारी विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के नाम दुरूस्त करवाने बाबत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खेजरोली का हाल ख0नं0 6195/825 रकबा 0.12 हैक्टेयर जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता संख्या 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते में अंकित है जिसके साबिक ख0नं0 3163 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से 100X120 12000 वर्गफुट अर्थात 1333 वर्गगज भूमि पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु रूपान्तरित करवाकर ना0सं0 50 से राज्य सरकार के हक में समर्पित कर दी थी। भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त रूपान्तरित खसरा नम्बर को ना0सं0 50 के अनुसार राज्य सरकार के खाता जिमन नं. 1 में दर्ज करना चाहिये था लेकिन उक्त खसरा नम्बर को सार्वजनिक निर्माण विभाग गैर मु0 सडक करवाने में दर्ज कर दिया जो गलत है। संलग्न साबिक नक्शा फोटो प्रति एवं हाल नक्शा नकल के अवलोकन से एवं मौके की स्थिति के अनुसार हाल ख0नं0 6195/8255 सडक से दूर है। जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता सं. 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाने एवं ख0नं0 6195/8285 जिमन नं0 1 राज्य सरकार सिवाय चक खाते में दर्ज किया जाना उचित होगा। प्रार्थी श्री विष्णु कुमार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(7)

प्रार्थना की है कि ख0नं. 6195/8255 रकबा 0.12 गै0 मु0 सडक से हटाकर राजस्थान सरकार के खाते में सिवाय चक दर्ज करवाने की कृपा करें ताकि मैं मेरे स्वंय के पेट्रोल पम्प के नाम से नामान्तरकरण खुलवा सकूं। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा उपलब्ध प्रतिवेदन तहसीलदार एवं मौजूदा अभिलेख से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31.03.2001 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता संख्या 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाते हुए एवम ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाते हुए एवं ख0नं0 6195/8285 जिमन नं. 1 सिवाय चक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चौमू को आदेश पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 31.03.2001 से व्यथित होकर अपीलान्ट शंकरलाल पुत्र श्री नन्दाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकार आमेर जिला जयपुर दिनांक 31.03.2001 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि स्व0 श्री प्रागा पुत्र सेडू जाति अहीर ने साबिक खसरा नम्बर 3163/1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा की भूमि को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 22.01.1986 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं जरिये नामान्तकरण संख्या 1464 दिनांक 17.02.1986 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हाल भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 हैक्टेयर में से अपीलान्ट के पिता को हिस्सा 33/43 व भगवान सहाय पुत्र ईश्वर लाल को हिस्सा 4/43 व शेष हिस्सा 6/43 छीतर पुत्र मोहनलाल उर्फ मोहरू को विक्रय कर देने से उक्त खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 हैक्टेयर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक अधिकार व दर्ज हिस्सा नही रहा हैं एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हाल खसरा नम्बर 6227 रकबा 0.18 हैक्टेयर को भी अपीलान्ट के पिता को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साबिक खसरा नम्बर 3163/1 में से खेजरोली से बिलान्दरपुर जाने वाली सडक के खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर बना। उपर्युक्त वर्णित प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के राजस्व खाता में कुल रकबा 7 बीघा 19 बीस्वा (2.01 हैक्टेयर) में से सडक की भूमि निकालने के पश्चात कुल भूमि 1.89 हैक्टेयर बचती हैं एवं 1.89 हैक्टेयर में से (0.61 हैक्टेयर) 1.28 हैक्टेयर शेष भूमि बची हैं, इस शेष भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हाल खसरा नम्बर 6195 में से जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से दीगर व्यक्तियों को भूमियां विभिन्न समय दिनांकों में बेचान की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 3163/1 रकबा 7 बीघा 19 बीस्वा में अपील के मद संख्या 2 में वर्णितानुसार विक्रय कर देने व 0.12 हैक्टेयर की भूमि जिसके खसरा नम्बर 6195/8255 हैक्टेयर जो गै0मु0 सडक का नम्बर हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के राजस्व खाते में दर्ज कर दिये जाने से 0.12 हैक्टेयर भूमि की अभिवृद्वि हो गई। हाल भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 रकबा 0.43 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 6227 रकबा 0.18 हैक्टेयर का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है, लगान

राज्य सरकार को जमा करवाता आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हाल भूमि खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर अपने खाते में दर्ज करवा लेने से अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 की सीमा में अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करता हैं एवं मौके पर अपीलान्ट की खातेदारी की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर आमादा रहता हैं, इस कारण से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य अनावश्यक रूप से वाद बाहुल्यता बढ रही हैं, कई प्रकरण विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसी क्रम में दिनांक 10.01.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट की कब्जे काश्त की हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 की सीमा में प्रवेश करने की नाकिश कार्यवाही करी परन्तु अपीलान्ट की सजगता से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कब्जा नही कर पाया तो रेस्पोडेन्ट संख्या ने अपीलान्ट को धमकी दी एवं कहां कि 0.12 हैक्टेयर की भूमि जो कि गै0मु0 सड़क की है मेरे खाते में दर्ज हैं इसलिए मेरे राजस्व खाते की भूमि में 0.12 हैक्टेयर की भूमि की अभिवृद्वि हुई है एवं राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हैं का कब्जा लेकर रहूंगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने साबिक खसरा नम्बर 3163/1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए 12,000 वर्गफीट (1333 वर्गगज) कन्वर्जन करवाया एवं जिसका लीज डीड दिनांक 25.05.1987 को निष्पादित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया गया व नामान्तकरण संख्या 50 दिनांक 25.03.1987 को तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.01.2021 को मद संख्या 1 में वर्णितानुसार धमकी दिये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में गै0मु0 सडक का खसरा नम्बर 6195/8255 का रकबा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो जाने की जानकारी करी तो अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2001 का पता चला इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त तथ्य का पता नहीं था, जानकारी नही थी इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी होते ही प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन दिनांक 13.01.2021 को करने से व प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.01.2021 को मिलने से अपील पेश करना लाजमी आया हैं। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र ग्राम खेजरोली के खसरा नम्बर 6195/8255 गै0मु0 सडक के स्थान पर खातेदारी स्वयं के नाम दुरूस्त करवाने बाबत प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र के पेश होने पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर ने दिनांक 31.03.2001 को अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं, जो तथ्य पत्रावली एवं विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश दिनांक 31.03.2001 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के राजस्व खाते में 0.12 हैक्टेयर भूमि ज्यादा दर्ज हो जाने से व अपीलान्ट के साथ सीमा विवाद उत्पन्न करता हैं जबकि गै0मु0 सड़क के खाते में मौका स्थिति के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं एवं मौजूदा खेजरोली, बिलान्दरपुर सडक का नम्बर विलोपित कर विधि विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 की सीमा में अपीलान्ट के कब्जे में बेजा व अनावश्यक दखलअन्दाजी करने से मौके पर सीमा विवाद उत्पन्न हो गया हैं एवं अपीलान्ट विधि विरूद्व निर्णय से प्रभावित पक्षकार हैं। माननीय अधिनस्थ न्यायालय जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया हैं उस प्रार्थना पत्र पर बिना राजस्व रिकॉर्ड, बिना तथ्य व मौजूदा मौका स्थिति की जानकारी किये बगैर मात्र मिलीभगत से विधि विरूद्व रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय हैं। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चौमू की मौका रिपोर्ट की विवेचना सही नही कर कानूनन भूल की हैं, जबकि साबिक खसरा नम्बर 3163/1

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से ही गै0मु0 सडक खसरा नम्बर 6195/8255 बने हैं एवं हाल खसरा नम्बर 6195 से दूर हैं व हाल खसरा नम्बर 6195/8848 की उत्तरी सीमा पश्चात स्थित हैं। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समस्त राजस्व खाते व रकबा के तथ्यों का अवलोकन सही नही किया हैं, सडक का नम्बर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में दर्ज कर दिये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के रकबें में अभिवृद्धि हो गई हैं जो बखिलाफ कानून हैं इसलिए अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। यह कि विधि का सुव्यस्थित सिद्धान्त है कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश दिये जाने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय होता हैं परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक भूल की हैं तथा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर व सूचना नही दी हैं इसलिए अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आये दिन अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 की सीमा में जबरन प्रवेश कर कब्जा करने की कुचेष्टा करता रहता हैं, इसी क्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.01.2001 को ऐसा कृत्य किया हैं एवं माननीय अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नही रही है इसलिए अपील प्रस्तुत करने में देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय हैं तथा अपील अपील का गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है। प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम का अलग से प्रस्तुत है। यह कि अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 6195/8848 में हिस्सा 30/43 भाग का व खसरा नम्बर 6227 के रकबें सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार, लगान राज्य सरकार को अदा करता है, मौके पर काबिज काश्त हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मौके पर अपीलान्ट के कब्जे में अवैध रूप से कब्जा करने की नाकिस कार्यवाही कर रहा हैं यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ऐसा करने में सफल हो जावेगा तो अपीलान्ट का मौके पर रकबा कम हो जावेगा एवं उसके खातेदारी हक अधिकार खतरे में पड जावेगें। अपीलान्ट प्रभावित पीडित पक्षकार हैं, जिसे अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हैं ऐसे में धारा 96 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। यह कि न्यायहित में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2001 को निरस्त किया जाकर हाल भूमि खसरा नम्बर 6195/8255 को गै0मु0 सडक के खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यकीय है। इसलिये भी आलौच्य आदेश दिनांक 31.03.2001 को निरस्त फरमाया जाकर हाल खसरा नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर को सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौमू ग्राम खेजरोली के ख.नं. 6195/8255 गैर मु0 सडक के स्थान पर खातेदारी विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के नाम दुरूस्त करवाने बाबत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खेजरोली का हाल ख0नं0 6195/825 रकबा 0.12 हैक्टेयर जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता संख्या 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते में अंकित है जिसके साबिक ख0नं0 3163 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से 100X120 12000 वर्गफुट अर्थात 1333 वर्ग गज भूमि पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु रूपान्तरित करवाकर ना0सं0 50 से राज्य सरकार के हक में समर्पित कर दी थी। भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त रूपान्तरित खसरा नम्बर को ना0सं0 50 के अनुसार राज्य सरकार के खाता जिमन नं. 1 में दर्ज करना चाहिये था लेकिन उक्त खसरा नम्बर को सार्वजनिक निर्माण

(10)

विभाग गैर मु0 सडक करवाने में दर्ज कर दिया जो गलत है। संलग्न साबिक नक्शा फोटो प्रति एवं हाल नक्शा नकल के अवलोकन से एवं मौके की स्थिति के अनुसार हाल ख0नं0 6195/8255 सडक से दूर है। जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता सं. 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाने एवं ख0नं0 6195/8285 जिमन नं0 1 राज्य सरकार सिवाय चक खाते में दर्ज किया जाना उचित होगा। प्रार्थी श्री विष्णु कुमार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की है कि ख0नं. 6195/8255 रकबा 0.12 गै0 मु0 सडक से हटाकर राजस्थान सरकार के खाते में सिवाय चक दर्ज करवाने की कृपा करें ताकि मैं मेरे स्वंय के पेट्रोल पम्प के नाम से नामान्तरकरण खुलवा सकूं। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा उपलब्ध प्रतिवेदन तहसीलदार एवं मौजूदा अभिलेख से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31.03.2001 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता संख्या 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाते हुए एवं ख0नं0 6195/8285 जिमन नं. 1 सिवाय चक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चौंमू को आदेश पारित किये गये। उनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2001 विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्ट के मध्य सीमा विवाद विध्यमान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी काश्त की भूमि का विभिन्न समय दिनांकों में दीगर व्यक्तियों को विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया है एवं वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रारम्भिक राजस्व खाता खसरा नम्बर 3163/1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा से अधिक 0.12 हैक्टेयर की भूमि में वृद्धि होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सीमा अपीलान्ट के खसरा नम्बर 6195/8848 की सीमा में प्रवेश करती है इस कारण अपीलान्ट प्रभावित, पीडित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 10.01.2021 को मद संख्या 1 में वर्णितानुसार धमकी दिये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में गै0मु0 सडक का खसरा नम्बर 6195/8255 का रकबा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो जाने की जानकारी करी तो अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2001 का पता चला इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त तथ्य का पता नहीं था, जानकारी नहीं थी इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी होते ही प्रमाणित प्राप्त करने के लिये आवेदन दिनांक 13.01.2021 को करने से व प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.01.1021 को मिलने से अपील पेश करना लाजमी आया है। जिससे जाहिर है कि अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्य विवाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र दुरूस्ती को लेकर है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 31.03.2001 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता संख्या 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाते हुए एवं ख0नं0 6195/8285 जिमन नं. 1 सिवाय चक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चौमू को आदेश पारित किये जाने को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र दुरूस्ती का पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौमू से रेस्पोडेन्ट नं. 1 विष्णु कुमार शर्मा के प्रार्थना पत्र पर जॉच रिपोर्ट पत्र कमांकः भू.अ./2001/99 दिनांक 10.01.2001 से प्राप्त हुई। तहसीलदार चौमू द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि " ग्राम खेजरोली का हाल ख0 नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता संख्या 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते में अंकित है। 3163 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में से 100x120 12000 वर्गफुट अर्थात 1333 वर्ग गज भूमि पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु रूपान्तरित करवाकर ना0सं0 50 से राज्य सरकार के हक में समर्पित कर दी थी। भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त रूपान्तरित खसरा नम्बर को ना0सं0 50 के अनुसार राज्य सरकार के खाता जिमन नं. 1 में दर्ज करना चाहिये था लेकिन उक्त खसरा नम्बर को सार्वजनिक निर्माण विभाग गैर मु0 सडक करवाने में दर्ज कर दिया जो गलत है। संलग्न साबिक नक्शा फोटो प्रति एवं हाल नक्शा नकल के अवलोकन से एवं मौके की स्थिति के अनुसार हाल ख0नं0 6195/8255 सडक से दूर है। जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता सं. 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाने एवं ख0नं0 6195/8285 जिमन नं0 1 राज्य सरकार सिवाय चक खाते में दर्ज किया जाना उचित होगा " के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.03.2001 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी आधार वर्ष 2055 के खाता संख्या 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 1685 सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक के खाते से ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाते हुए एवम ख0नं0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर हटाते हुए एवं ख0नं0 6195/8285 जिमन नं. 1 सिवाय चक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चौमू को आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2001 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 31.03.2001 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर